ठेका श्रम प्रणाली को समाप्त किया जा चुका है । शेष 115 केन्द्रों में से 53 केन्द्रों में सीधा भुगतान प्रणाली, 38 में में श्रमिक सहकारी समिति प्रणाली चलाई जा रही है और 8 केन्द्रों को खाली कर दिया गया है । शेष 16 केन्द्र ठेका श्रम प्रणाली के उत्सादन के योग्य नहीं हैं ।

चीनी मिलों के लिये जारी किये गये लाइसेंस

2135. **श्रीमती सत्या बहिन** : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में सहकारी क्षेत्र में चीनी के नये कारखाने लगाने के लिये लाइसेंस जारी करने का विचार रखती है ;

(ख) क्या सरकार चीनी मिलों को लगाने के लिये अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को प्राथमिकता के आधार पर प्रोत्साहन देने पर विचार कर रही है; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार सहकारी संस्थाओं और अनुसूचित जाति के इच्छुक आवेदकों को उत्तर प्रदेश में डिस्टिलरी खोलने के लिये अनुमति प्रदान करने का विचार रखती है; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : नई चीनी मिलें स्थापित करने के लिये आशय पत्र/औद्योगिक लाइसेंस प्रदान करने हेतु सहकारी क्षेत्र से प्राप्त प्रस्तावों पर सरकार द्वारा प्रचलित लाइसेंस नीति संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार विचार किया जाता है । चीनी वर्ष 1993–94 के दौरान अभी तक सहकारी क्षेत्र में 3 आशय पत्र जारी किये गये हैं ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) सहकारी संस्थाओं और अनुसूचित जाति के उद्यमियों सहित, कोई भी उद्यमी उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 के तहत बिना लाइसेंस के औद्योगिक एल्कोहल के उत्पादन के लिये डिस्टिलरी लगा सकता है ।

Sugar Development Fund

2136. DR. SHRIKANT RAMCHANDRA JICHKAR: Will the Minister of FOOD be pleased to state:

(a) what is the total money in the Sugar Development Fund as on 1st December, 1993;

(b) what are the plans for its utilisation; and

(c) how much has been given to Maharashtra?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD (SHRI KALP NATH RAI): Total cess transferred to Sugar Development Fund till 1st December, 1993 is Rs. 1299 Crores

(b) The Fund is utilised for the following purposes:—

(i) Making loans for facilitating the rehabilitation and modernisation of any sugar factory;

(ii) Making loans for the undertaking of any scheme for development of sugar cane in the area in which any sugar factory is situated;

(iii) Making grants for the purpose of any research project aimed at development of sugar industry;

(iv) Defraying expenditure for the purpose of building up and maintenance of buffer stock of sugar with a view to stabilising price of sugar;

(v) Defraying any other expenditure for the purpose of the Act.

(c) Till 30. 11. 1993, loans aggregating to Rs. 96.29 crores had been sanc-